न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 03/2023 दायरा दिनांक 19.07.2023
GCMS No. 2023/37

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

तहसीलदार किशनगंज जिला–बारां, राजस्थान (राजस्थान सरकार)

– अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी खण्डेला खेडी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
2. इन्ताम बाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी खण्डेला खेडी तहसील किशनगंज, जिला–बारां
3. बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी माधोपुरा तहसील किशनगंज जिला–बारां।

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
पैरोकार सरकार – प्रार्थी।

निर्णय दिनांक 27.09.2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 3 दिनांक 20.05.2022 ग्राम चकलोलक्या

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 3 दिनांक 20.05.2022 ग्राम कचलोलक्या को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी लेण्डहॉलडर है हल्का पटवारी पटवार मण्डल पीपल्दाकलां ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चकलोकक्या पटवार मण्डल पीपल्दाकलां में प्रशासन गांव के संग अभियान 2022 में दौराने केम्प पीपल्दाकलां में आराजी ग्राम चकलोलक्या खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर में खातेदार का फौती नामान्तरकरण सहवन से गलत दर्ज हो गया जिसको खारिज करवाना आवश्यक है।

दौराने केम्प 2022 पटवार मण्डल पीपल्दाकलां में खातेदार मृतक बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन चकलोलक्या के पुत्र ओमप्रकाश ने अपने मृतक पिता के खाते की आराजी का फौती नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संलग्न की थी।

उक्त ग्राम चकलोलक्या में बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन चकलोलक्या का एक सामलात खाते की आरांजी खसरा संख्या 9 रकबा 2.7100 हैक्टेयर व खसरा संख्या 16 रकबा 2.2800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.9900 हैक्टेयर हिस्सा 1/27 व खातेदार बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन माधोपुरा के नाम खसरा संख्या 1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। सहवन से मृतक खातेदार बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ साकिन चकलोलक्या के पुत्र ने प्रार्थना पत्र के साथ दोनों खातों की नकल संलग्न कर दी थी। जबकि बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन माधोपुरा जो आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर का खातेदार था जो जीवित है।

दौराने केम्प प्रार्थना पत्र पेश होने व खातेदार बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन चकलोलक्या व बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन माधोपुरा के नाम मय वल्दियत व जाति एक सामान होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा सहवन से जीवित खातेदार बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा

Scanned with OKEN Scanner

निवासी माधोपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर ग्राम चकलोलक्या में भी फोती नामान्तरकरण मृतक बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ के वारिसानों के नाम दर्ज हो गया है। जिसका खारिज करवाया जाना अति आवश्यक है। हल्का पटवारी ने उक्त गलती जानबूझकर नहीं कि है सहवन से जानकारी के अभाव में व खातेदारों का मय वल्दियत एक नाम एक जाति होने से हुयी है, जो क्षमा योग्य है।

रेस्पोडेण्टगण को सम्मन जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुये। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने कोई आपत्ति नहीं होना बताया। रेस्पोडेन्ट कम 3 ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी को जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र से क्रय की है तथा मैं उक्त क्रय दिनांक से ही आज तक उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हूँ जिसका गलत फोती नामान्तरकरण मृतक बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी खण्डेला खेडी के बारिसानों के नाम खुल गया है।
पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया गया।

हमने पैरोकार सरकार अपीलान्ट की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम चकलोलक्या में बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन चकलोलक्या का एक सामलात खाते की आराजी खसरा संख्या 9 रकबा 2.7100 हैक्टेयर व खसरा संख्या 16 रकबा 2.2800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.9900 हैक्टेयर हिस्सा 1/27 व खातेदार बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन माधोपुरा के नाम खसरा संख्या 1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। सहवन से मृतक खातेदार बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ साकिन चकलोलक्या के पुत्र ने प्रार्थना पत्र के साथ दोनों खातों की नकल संलग्न कर दी थी। जबकि बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा साकिन माधोपुरा जो आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर का खातेदार था जो जीवित है। जो पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 03 ग्राम चकलोलक्या निर्णय दिनांक 20.05.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी चकलोलक्या के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारा)

Scanned with OKEN Scanner